उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या 1679 /VII-A-1/2024–03(102)/2021
देहरादूनः दिनांकः 25 सितम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1568/VII-A-1/2024–03(102)/2021 दिनांक 18 सितम्बर, 2024 द्वारा निर्गत 'उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव–मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. आयुक्त, गढवाल/कुमांऊ मण्डल पौडी/नैनीताल।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीति को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां ओद्यौगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन का यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1568/VII-A-1/2024–03(102)2021
देहरादून, दिनांकः 18 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली 2023 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 7 में उपनियम (4), (5) एवं (6) का अंतःस्थापन

2. **मूल नियमावली के अध्याय–दो के नियम 7 के उपनियम (3) के पश्चात उपनियम (4), (5) एवं (6) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्ः–**

(4) खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले समस्त वाहनों पर जी0पी0एस लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा जी0पी0एस0 व धर्मकांटा को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल के साथ इन्टीग्रेट किया जायेगा।

(5) खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले भारी वाहनों का परिवहन मार्ग उपजिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी के द्वारा वाहन स्वामियों के आपसी समन्वय से निर्धारित किया जायेगा एवं निर्धारित मार्ग में पड़ने वाले चैक पोस्टों पर सम्बन्धित वाहनों के द्वारा ई–रवन्ना प्रपत्रों की जॉच करायी जायेगी, बिना वैध ई–रवन्ना एवं निर्धारित मार्ग से अन्यत्र मार्ग में परिवहन करते पाये जाने वाले वाहन पर लदे उपखनिजों को अवैध मानते हुए ऐसे पकड़े गये वाहनों पर जिला खान अधिकारी के द्वारा नियम–14 के उपनियम–2 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(6) खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के आगे एवं पीछे स्पष्ट वाहन संख्या आदि प्रदर्शित होनी अनिवार्य होगी, बिना वाहन संख्या अथवा अस्पष्ट वाहन संख्या एवं बिना वैध ई–रवन्ना प्रपत्र के खनिजों का परिवहन किये जाने वाले वाहन स्वामी के विरूद्व इस नियमावली के नियम–14 के उपनियम–2 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा वाहन मे लदे उपखनिज को वाहन स्वामी के द्वारा जिस स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/रिटेल भण्डारणकर्ता/अनुज्ञाधारक आदि से लाया गया है, के विरूद्व जिला खान अधिकारी के द्वारा जॉचोपरान्त रू0 05 लाख अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूल किया जायेगा।

नियम 8 का संशोधन

3. **मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 8 के उपनियम (1) (3) (4) एवं (5) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः–**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8.(1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/ कम्पनी	8.(1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म

Scanned with CamScanner

सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए गठित समिति से स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा;

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 01 सप्ताह के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिलाधिकारी प्रकरण पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेंगे अन्यथा की स्थिति में आपत्ति स्वीकार मानी जायेगी अर्थात् भण्डारण आवेदन निरस्त

/कम्पनी सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित निर्धारित प्रपत्र –"एच" में चार प्रतियों में वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराया जायेगा तथा अभिलेखों को पूर्ण कराये जाने के उपरान्त गठित समिति के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 01 सप्ताह के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित तहसीलदार व जिला खान अधिकारी के द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को एक माह

Scanned with CamScanner

माना जायेगा प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है अथवा जिलाधिकारी द्वारा भण्डारण अनुज्ञाधारक के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी।	के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा तथा सुनवाई के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा। यदि सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी आपत्तिकर्ता उपस्थित नही होता है तो आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त समझी जायेगी।
परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।	परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।
(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा;	(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिला खान अधिकारी के द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा;
परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।	परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।
(5) आवेदित भण्डारण स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:– 1. संबंधित उप जिलाधिकारी – अध्यक्ष। 2. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी – सदस्य सचिव।	(5) आवेदित भण्डारण स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:– 1. जिला खान अधिकारी – अध्यक्ष। 2. तहसीलदार – सदस्य।
परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।	परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

नियम 9 के उपनियम 1 का संशोधन

4. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 9 के उपनियम 1 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9.1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।	**9.1.** राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर निदेशक के द्वारा 05 वर्ष तक की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।

नियम 9 में उपनियम 5 एवं 6 का अंतःस्थापन

5. मूल नियमावली के अध्याय–तीन के नियम 9 के उपनियम 4 के पश्चात उपनियम 5 एवं 6 को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

5. शहरी क्षेत्रान्तर्गत संचालित ऐसे फुटकर रिटेल खनिज विक्रेता भण्डारणों को विनियमित करने

Scanned with CamScanner

के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु आवेदन जिला खान अधिकारी के जनपदीय कार्यालय मे किया जायेगा, तत्पश्चात् जॉचोपरान्त् दूरी के मानकों, धर्मकांटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्थापित किये जाने मे छूट प्रदान करते हुए रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति आख्या पर सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त निदेशक अथवा निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा (अधिकतम 200 घनमीटर तक तैयार माल हेतु) 05 वर्ष तक की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। इस हेतु अनुज्ञा शुल्क नियम–8 के उपनियम (2)1 के अनुसार देय होगा। उक्त रिटेल भण्डारणकर्ताओं को विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. उक्त नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त उपखनिज आर०बी०एम०/बोल्डर्स के भण्डारण की अनुमति मात्र स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पट्टाधारक/खनन अनुज्ञाधारक एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2023 के नियम–69 के अन्तर्गत चयनित ठेकेदार को होगी। इसके अतिरिक्त रिटेल भण्डारणकर्ताओं को केवल तैयार माल (रेता, बजरी, ग्रिट, डस्ट) के क्रय–विक्रय की अनुमति होगी तथा पूर्व से स्वीकृत रिटेल भण्डारणकर्ताओं को रिटेल भण्डारण स्थल पर उपखनिज आर०बी०एम०/बोल्डर्स के क्रय–विक्रय की अनुमति स्वीकृत अवधि तक ही मान्य होगी।

नियम 11 में संशोधन 6. **मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 11 उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11.(1) रिटेल भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व, नियम 8 के उपनियम (2) में निर्धारित आवेदन/अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञप्ति के विवरण सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का जांच/परीक्षण करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त जिला खान अधिकारी के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 15 दिन के अन्तर्गत जांच करायी जायेगी। गठित समिति की आख्या के आधार पर रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण जिलाधिकारी के द्वारा याचित अवधि अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जायेगा।	11.(1) रिटेल भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व नियम 8 के उपनियम (2) में निर्धारित आवेदन/अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञप्ति के विवरण सहित भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का जांच/परीक्षण करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त जिला खान अधिकारी के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित तहसीलदार के साथ संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित निदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण याचित अवधि अथवा 05 (पांच) वर्ष तक की अवधि हेतु किया जायेगा। यदि रिटेल भण्डारणकर्ता के द्वारा पूर्व स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञा के क्षेत्रफल मे संशोधन किया जाता है तो उस हेतु रिटेल भण्डारणकर्ता के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें

Scanned with CamScanner

आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित तहसीलदार व जिला खान अधिकारी के द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को एक माह के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा तथा सुनवाई के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा। यदि सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी आपत्तिकर्ता उपस्थित नही होता है तो आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त समझी जायेगी।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

नियम 12 के उपनियम (5) में संशोधन

7. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 12 के उपनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12.(5) अनुज्ञाधारक द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तोल मशीन तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित सी0सी0टी0वी0 की रिर्कांडिंग को संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण के समय रिकॉडिंग मांगे जाने पर, प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉर्डिंग मे कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर रू0 250/– प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड	12.(5) अनुज्ञाधारक द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तोल मशीन तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित सी0सी0टी0वी0 की रिर्कांडिंग को न्यूनतम 30 दिन तक संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा रिकॉडिंग मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉर्डिंग मे कोई गड़बड़ी पायी जाती है या मॉगे जाने पर रिकॉर्डिंग प्रस्तुत नही की

Scanned with CamScanner

अधिरोपित किया जायेगा, जो कि अनुज्ञाधारक के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा कराया जाना होगा।	जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर रू0 दो लाख अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

नियम 12 के उपनियम (2)(iii), (11) एवं (12) का अंतःस्थापन

8. **मूल नियमावली के अध्याय–तीन के नियम 12 के उपनियम (2) (ii) के पश्चात (2)(iii) एवं उपनियम (10) के पश्चात (11) एवं (12) को निम्नवत अंतः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–**

(2) (iii) स्वस्थानें किस्म की चट्टानों पर आधारित खनिजों यथा सोपस्टोन, मैग्नेसाईट आदि के भण्डारण हेतु निम्नलिखित मानक होंगे :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–50 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–50 मी0
ग–अस्पताल से दूरी–50 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–10 मी0
ङ– नदी (Perennial River) से दूरी–50 मी0
च–सरकारी वन से दूरी–10 मी0

(11) कोई भी रिटेल भण्डारणकर्ता भण्डारण स्थल से अन्य रिटेल भण्डारणकर्ता को खनिज का क्रय–विक्रय नही करेगा।

(12) निदेशालय/जनपद स्तर पर समय–समय पर ई–रवन्ना पोर्टल की जॉच किये जाने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडीमिक्स प्लांट/रिटेल भण्डारणकर्ता आदि के द्वारा ई–रवन्ना प्रपत्रों का दुरूपयोग किये जाने अथवा ई–रवन्ना प्रपत्र मे दूरी, गन्तव्य स्थान, वाहन संख्या आदि को गलत अंकित किये जाने एवं अन्य कोई अनियमितता की पुष्टि होने पर ई–रवन्ना पोर्टल को अस्थायी रूप से निलम्बित करते हुए नियमावली के नियम–14 (5) (क) के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

नियम 14 के उपनियम (2), (4)(क), (5)(क) एवं (5)(ग) में संशोधन

9. **मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 14 के उपनियम (2), (4)(क), (5)(क), (5)(ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–**

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

14.(2) खनिज का अवैध परिवहन किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (रू0 में)	अधिरोपित की जाने वाली रायल्टी का गुणांक
1.	04 पहिया यूटीलिटी एवं छोटे वाहन	5,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य

स्तम्भ–2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

14.(2) खनिज का अवैध परिवहन किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (रू0 लाख में)	अधिरोपित की जाने वाली रायल्टी का गुणांक
1.	बुग्गी	0.02	वाहन मे लदे अवैध
2.	पिकअप	0.10	

Scanned with CamScanner

2.	06 पहिया यूटीलिटी	7,500	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
3.	02 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	10,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
4.	04 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	15,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
5.	06 पहिया ट्रक	30,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
6.	06 पहिया से अधिक ट्रक डम्पर हाईवा आदि हेतु	50,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
7.	जे0सी0बी0	2,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में
8.	पौकलैण्ड	4,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में

(4)(क) एक वर्ष के अन्तर्गत 02 या उससे अधिक बार अवैध खनिज परिवहनकर्ता एवं वाहनस्वामी पर उपनियम (2) में निर्धारित अर्थदण्ड के अनुसार धनराशि अधिरोपित की जायेगी और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनिज परिवहन में पकड़ा जाता है तो आदतन अपराधी मानते हुए पकड़े गये वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य सम्पत्ति घोषित कर दिया जायेगा।

3.	ट्रैक्टर/ट्रॉली या ट्रैक्टर (बैक कराह/लोडर व अन्य कोई स्वरूप परिवर्तित किये जाने पर)	0.20	खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पॉच गुना
4.	06 टायरा ट्रक/डम्पर/टिपर	0.30	
5.	10 टायरा ट्रक/डम्पर/टिपर/हाईवा	1.00	
6.	10 टायरा से अधिक टायरों युक्त ट्रक/डम्पर आदि	2.00	
7.	जे0सी0बी0	2.00	बिना अनुमति के प्रयोग की दशा मे।
8.	पौकलेण्ड	5.00	

(4)(क) यदि किसी स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराइजर प्लांट अनुज्ञाधारक द्वारा किसी खनन सत्र (वर्ष 01 अक्टूबर से 30 जून तक) की अवधि में 02 बार से अधिक कोई अवैध अनियमितता पाई जाती है तो जिला खान अधिकारी एवं महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रदद करने का निर्णय लिया जायेगा।

मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट/रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक द्वारा किसी खनन सत्र (वर्ष 01 अक्टूबर से 30 जून तक) की अवधि में 02 बार से अधिक कोई अवैध अनियमितता पाई जाती है तो जिला

Scanned with CamScanner

(5)(क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार मे रॉयल्टी का दो गुना तथा इसके पश्चात् रॉयल्टी का तीन गुना तक के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी दिये जाने के सम्बन्ध में ई-रवन्ना पोर्टल में संशोधन किये जाने हेतु जिला खान अधिकारी द्वारा निदेशालय को पत्र प्रेषित किया जायेगा। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई-पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/ भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक /निदेशक द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

एक खनन सत्र (वर्ष 01 अक्टूबर से 30 जून तक) के अन्तर्गत 02 बार तक खनिज का अवैध परिवहन करने पर वाहनस्वामी पर नियमावली के नियम-14 के उपनियम (2) के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनिज परिवहन में पकड़ा जाता है तो आदतन अपराधी मानते हुए पकड़े गये वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य की सम्पत्ति घोषित कर दिया जायेगा, जिसकी नीलामी कर प्राप्त धनराशि को विभागीय लेखा शीर्षक मे जमा किया जायेगा।

(5)(क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता/अनियमितता पाई जाती है तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज/ई-रवन्ना पोर्टल को बन्द करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण/साक्ष्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार मे रॉयल्टी का तीन गुना तथा इसके पश्चात् रॉयल्टी का चार गुना के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। (किसी व्यक्ति/ संस्था/फर्म/कम्पनी आदि के नाम एक से अधिक अनुज्ञा स्वीकृत होने पर यदि एक अनुज्ञा स्थल पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है अथवा उक्त नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व आरोपित किया गया है तो

Scanned with CamScanner

रजिस्टर/ई-रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) का नियमावली 2021 के प्रख्यापन से पूर्व अधिरोपित /विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त रू0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

(5)(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर तो 10 प्रतिशत तक के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर उपनियम (5) का खण्ड (ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

दूसरे अनुज्ञा स्थल पर अर्थदण्ड रॉयल्टी के चार गुना के समतुल्य धनराशि आरोपित की जायेगी)।

सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त अधिरोपित धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक के द्वारा दी जाएगी।

यदि भण्डारण की जांच/पैमाईश के उपरान्त भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर कम पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध उक्तानुसार धनराशि आरोपित करते हुये कम पायी गयी उपखनिज की मात्रा को सम्बन्धित के Capacity in Hand में अंकित उपखनिज की मात्रा से कम कर दी जायेगी।

यदि महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियमावली के नियम 15 के अधीन 60 दिन के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जायेगी, यदि अपील प्रस्तुत नही की जाती है या प्रस्तुत अपील पर कोई स्थगन आदेश पारित नही होता है तो जिला खान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अनुज्ञाधारक का ई-पोर्टल बन्द कर दिया जायेगा।

ऐसे अवैध भण्डारण, जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं, को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा (100 घनमीटर तक) को मौके पर ही खुली नीलामी (जिसका आधार मूल्य तत्समय प्रचलित रॉयल्टी का दोगुना होगा) के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा तथा 100 घनमीटर से अधिक उपखनिज की नीलामी (जिसका आधार मूल्य तत्समय प्रचलित रॉयल्टी का दो गुना होगा) हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा

Scanned with CamScanner

स्थानीय समाचार पत्र मे विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा, जिसमें प्रतिभाग किये जाने हेतु आवेदन शुल्क रू0 10,000/- देय होगा, जो कि निर्धारित विभागीय लेखा शीर्षक मे जमा किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा।

(5)(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर नियमावली के नियम 14 के उपनियम (5) का खण्ड (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

नियम 14 के उपनियम (4)(ग), (5)(ञ), (9), (10), (11) एवं (12) का अंतःस्थापन

10. मूल नियमावली के अध्याय-तीन के नियम 14 के उपनियम (4)(ख) के पश्चात (4)(ग) व (5) (झ) के पश्चात (5)(ञ) एवं (8) के पश्चात उपनियम (9), (10), (11) एवं (12) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

(4)(ग). खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण, परिवहन तथा अभिवहन प्रपत्र मे उल्लिखित मात्रा से अधिक मात्रा मे उपखनिज का परिवहन पाये जाने पर पुलिस के द्वारा इसकी सूचना खनन विभाग/राजस्व विभाग को दी जायेगी तदोपरान्त् उनके द्वारा नियम-14 के उपनियम-5 (क) व नियम-14 के उपनियम-(2) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5)(ञ). उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली 2023 के नियम-69 के अन्तर्गत जिन जनपदों मे ठेकेदार का चयन किया गया है, उन जनपदों मे स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर्स/स्क्रीनिंग प्लांट्स /रिटेल भण्डारण आदि मे अवैध भण्डारित उपखनिज पर आरोपित/अधिरोपित धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त अवैध भण्डारित उपखनिज की मात्रा की निकासी/रॉयल्टी प्रदान किये जाने पर उक्त धनराशि को चयनित ठेकेदार के पक्ष मे उच्च बोली की धनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा, परन्तु ऐसे प्रकरणों (अवैध खनन/अवैध परिवहन) मे जहॉं उपखनिज की निकासी/रॉयल्टी प्रदान नही की जानी है, में अधिरोपित धनराशि को चयनित ठेकेदारों के पक्ष में समायोजित नहीं किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत भण्डारण/अनुज्ञा स्थलों आदि के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज को चयनित ठेकेदार के द्वारा तत्समय प्रचलित रॉयल्टी के दो गुने की दर से धनराशि जमा किये जाने पर उक्त उपखनिज को अवमुक्त किया जायेगा तथा उक्त धनराशि को चयनित ठेकेदार के पक्ष मे समायोजित किया जायेगा।

यदि चयनित ठेकेदार के द्वारा उक्त अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज को स्वयं अधिगृहीत या समपहृत नही किया जाता है तो उक्त अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज को नियमावली के नियम-14.(5)(क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(9) अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु निदेशालय स्तर पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की अध्यक्षता मे प्रवर्तन दल (Enforcement Cell) का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की शिकायत प्राप्त होने पर या समय-समय पर आकस्मिक छापेमारी सुनिश्चित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

(10) यदि ऐसी भूमि, जो कि भूस्वामी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अनुज्ञा हेतु वैद्य किरायेदारी पर दी गयी है, मे अनुज्ञा समाप्ति के उपरान्त किसी भी प्रकार का अवैध खनन/भण्डारण पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित भूस्वामी की होगी।

(11) राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/रेडिमिक्स प्लांट/रिटेल भण्डारण आदि अनुज्ञाधारकों के द्वारा कय उपखनिज सामग्री से सम्बन्धित लम्बित ई-रवन्ना प्रपत्रों की वैद्यता समाप्त होने के दिनांक व समय से 72 घंटे के भीतर Receive न किये जाने पर Unreceive ई-रवन्ना प्रपत्र स्वतः ही विलोपित हो जायेंगे। विलोपित ई-रवन्ना प्रपत्र में अंकित उपखनिज की मात्रा को अनुज्ञाधारकों के Capacity in Hand (CIH) में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(12) खनिजों के परिवहन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से विनियमित किये जाने हेतु ई-रवन्ना पोर्टल मे समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपडेटेशन की कार्यवाही एवं ई-रवन्ना प्रपत्रों के दुरूपयोग को रोके जाने के उद्वेश्य से ई-रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल किये जाने तथा हाई सिक्यॉरिटी पेपर पर निर्गत किये जाने की कार्यवाही निदेशक के द्वारा की जायेगी।

(13) **अन्तराज्यीय अभिवहन विनियमन शुल्क**-उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली 2023 के नियम-69 के अन्तर्गत जिन जनपदों मे ठेकेदार का चयन किया गया है, उन जनपदों मे अन्तराज्यीय अभिवहन विनियमन शुल्क के रूप मे जमा की जाने वाली धनराशि को चयनित ठेकेदार के द्वारा जमा की जाने वाली उच्चतम बोली की धनराशि मे समायोजित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

Scanned with CamScanner